न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 56 / 2022

प्रार्थी–

मानसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपूत निवासी पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. बाघसिंह पुत्र जेटूसिंह जाति रजापूत निवासी पादरडी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. छगनकंवर पत्नि जूगतसिंह जाति राजपूत निवासी पादरडी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर हाल C/O नारायणसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बालवाडा जालोर
3. सूरजकंवर पुत्री जुगतसिह जाति राजपूत निवासी पादरडी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर हाल C/O नारायणसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी बालवाडा जालोर
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06.06.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीग के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमबांदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी सरहद मौजा पादरड़ी कल्ला पटवार मण्डल कुसीप तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 560 रकबा 4.0631 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को र्दशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा पादरड़ी कल्ला पटवार मण्डल कुसीप तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 560 रकबा 4.0631 हैक्टयर किस्म मगरा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक / 2022 / 1050

दिनांक : - 15.06.2022

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

मानसिंह — **बाघसिंह वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं 56 / 2022 — दिनांक :– 06.06.2022

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा पादरडी कल्ला पटवार मण्डल कुसीप खसरा संख्या 560 रकबा 4.0631 हैक्टयर किस्म मगरा भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रूपये 500/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना सिवाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

क्रमांकः वाचक / 2022 / 1051-1054

दिनांक : - 15.06.22

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी कुसीप को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. मानसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपूत निवासी पादरड़ी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना